



महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना, हैदराबाद - 500 004.
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E)
ANDHRA PRADESH AND TELANGANA, HYDERABAD - 500 004.

दिनांक / Date :

08.2015

PM/VI/2015-16/OG-GO/

To
The Director of Treasuries and Accounts
Andhra Pradesh
4th Floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
HYDERABAD
Sir,

Sub: Grant of DR @ 119% from 01.07.2015 to Jharkhand Pensioners.
Ref:1. Govt of Jharkhand No 6A-12/2013/2938/(Fin)
dt13.11.2014.
2. Accountant General (A&E) Jharkhand SS No 123
Pen-III/DR/Jharkhand/2014-15/1614 DT 19.10.2015.

I am to enclose herewith copy of Orders issued by Jharkhand Government and received in this Office under Special Seal Authority from the Accountant General (A&E), Jharkhand in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully


Sr.Accounts Officer

Copy to

1. The Joint Director
HQR Treasury
Tilak Road, Abids
HYDERABAD

for information and necessary action.

Sr.Accounts Officer



महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), JHARKHAND

No.PEN-III/Jharkhand/DR/2014-15/ 1614

Dated:- 19/10/15

UNDER SPECIAL SEAL AUTHORITY NO. 123 (15-16)

To,

The

1.	Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hayderabad	500463
2.	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3.	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon Beltola, Guwahati	781029
4.	Accountant General (A&E), Bihar, Birchand Patel Marg, R- Block, Patna	800001
5.	Accountant General (A&E), Chatisgarh, 12/27, Raman Mandir Ward, Bilaspur Road, Fafadih, Raipur	492009
6.	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. of Goa, Directorate of Accounts, Pension Section, Panji, Goa	403101
7.	Accountant General (A&E), Gujrat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8.	Accountant General (A&E), Haryana, Lekha Bhawan, Plot No. 4 & 5, Sector-33-B, Chandigarh	160047
9.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla	171003
10.	Principal Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
11.	Principal Accountant General (A&E), Karnataka, Residency Park Road, Post Box No. Bangalore	560001
12.	Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695039
13.	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh, Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14.	Principal Accountant General (A&E), Maharashtra, 2 nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karve Road, Mumbai	400020
15.	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Nagpur	440001
16.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17.	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shilong	793001
18.	Accountant General (A&E), Mizoram, Shri Bualhranga Building, Dinthar, Aizawl	796001
19.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima	797001
20.	Accountant General (A&E), Orissa, Bhubaneswar	751001
21.	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigarh, Sector-17E, Chandigarh	160017
22.	Principal Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur	302005
23.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deorai, PO-Tadong, Gangtok	737102
24.	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjaban, Agartala	799006
26.	Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, 20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad	211001
27.	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building,	248171

OGP

पो. डोरण्डा, राँची - 834 002 P.O Doranda, Ranchi - 834 002 (JHARKHAND)

दूरभाष / Telephone : 0651-2412942, 2412582 तार / Telegram : PRINACCTTS RANCHI फैक्स / Fax : 0651-2411745

E-mail : agaejharkhand@cag.gov.in

	Saharanpur Road Majra, Dehradun	
28.	Principal Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Buildings, No.-2, Govt, Place (West), Kolkata	700001
29.	Director of Accounts and Treasuries, Govt of Pondicherry, Pondicherry	605001
30.	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3rd Floor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
31.	Pay & Accounts Officer (V), Delhi Administration, TIS Hazar, New Delhi	110124
32.	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akabar Bhavan, Chanakyapuri, New Delhi	110021

Subject:-Enhancement rate of Dearness Relief to the Jharkhand State Government Pensioners/family pensioners w.e.f. 01-07-2015 (Enhanced from 113% to 119%).

Sir,

I am to enclose herewith the copy of Government of Jharkhand, Finance Department L. No. **प्र. 6 ए-12/2013/2938 /प्र. dated -05/10/2015** on the subject stated above under Special Seal Authority for your information and immediate circulation among all pension disbursing authorities under your Jurisdiction.

Receipt of the above Special Seal Authority may please be acknowledged.

Encl:-As stated above.

Yours faithfully

Manmath Prasad Singh

**Sr. Accounts Officer/Pen-III
Jharkhand, Ranchi**

15/10/18

संकल्प

विषय : राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2015 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि०, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की भाँति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से केन्द्रीय पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका-17(ए०)(बी०) के द्वारा केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के अनुरूप दिनांक 01.01.2006 से राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण एवं अन्य सुविधाएँ सहित महँगाई राहत प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग के पत्र संख्या-42/10/2014 P&PW(G) दिनांक 28.09.2015 के द्वारा केन्द्रीय पेंशन/पारिवारिक पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में दिनांक 01.07.2015 के प्रभाव से 113% (एक सौ तेरह प्रतिशत) से बढ़ाकर 119% (एक सौ उन्नीस प्रतिशत) महँगाई राहत के रूप में स्वीकृत किया गया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्रीय सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनधारियों के अनुरूप राज्य सरकार ने भी राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.07.2015 के प्रभाव से महँगाई राहत 113% (एक सौ तेरह प्रतिशत) से अभिवृद्धि कर 119% (एक सौ उन्नीस प्रतिशत) महँगाई राहत के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

4. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना पुनरीक्षित पेंशन अथवा दिनांक 01.01.2006 के पश्चात् सेवानिवृत्त के समय प्राधिकृत पेंशन के समेकित पेंशन राशि पर किया जायेगा।

5. महँगाई राहत की स्वीकृति के कारण भुगतये राशि में यदि 50 पैसे या उससे अधिक गणना आती हो, तो अगले उच्चतर रुपये में इसे पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

6. पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर आदेय महँगाई राहत का भुगतान करते समय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3556/वि०, दिनांक 09.05.1991 में समाविष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त स्थितियों को छोड़कर महँगाई राहत शेष सभी असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगा, जिन्हें क्षतिपूर्ति/बार्धक्य निवृत्ति/असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक/पारिवारिक/ असाधारण पेंशन पाने वाले को भी आदेय महँगाई राहत का भुगतान अनुमान्य होगा।

7. पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलंब के परिहार्य हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता भाग-1 के नियम-344 (i) के तहत राज्य के अंतर्गत बिना महालेखाकार, झारखण्ड के प्राधिकार के ही भुगतान का आदेश दिया जाता है। पेंशनभोगियों द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी महँगाई राहत की राशि का भुगतान करेंगे। साथ ही, सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि बैंको के माध्यम से पेंशन का

Penr Gen Dyno 259-dt 8/10/15

भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने हेतु संबंधित सभी बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दिया जाय।

8. राज्य के बाहर आदेय महँगाई राहत की निकासी केवल महालेखाकार, झारखंड के प्राधिकार पर ही किया जायेगा। इस हेतु महालेखाकार, झारखंड से अनुरोध है कि सभी संबंधित महालेखाकार को इस हेतु अविलम्ब प्राधिकृत कर दिया जाय तथा इसकी सूचना झारखंड सरकार, योजना-सह-वित्त विभाग को भी दी जाय।

9. दिनांक 01.07.2015 के प्रभाव से स्वीकृत इस महँगाई राहत की राशि का भुगतान करते समय पूर्ववर्ती कड़िकाओं में निहित सभी प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय। भुगतान के समय भुगतान की जाने वाली महँगाई राहत की राशि की शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारियों का दायित्व होगा।

10. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 2876/वि० दिनांक 29.09.2015 के क्रम में दिनांक 29.09.2015 की बैठक के मद सं० 11 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी कोषागार/ उप-कोषागार एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

05.10.2015

(अमित खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

राँची, दिनांक 05.10.2015

ज्ञापांक : वि०प्र० 6ए-12/2013 2938/वि०

प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को इस आदेश के साथ प्रेषित कि वे इस संकल्प का प्रकाशन राजपत्र असाधारण अंक में करके e-गजट के रूप में वित्त, प्रशाखा-12 को सूचना उपलब्ध करावे।

05.10.2015

(अमित खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

राँची, दिनांक 05.10.2015

ज्ञापांक : वि०प्र० 6ए-12/2013 2938/वि०

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.10.2015

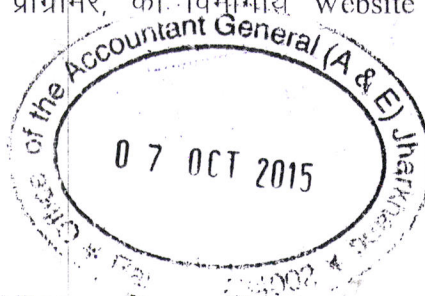
(अमित खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

राँची, दिनांक 05.10.2015

ज्ञापांक : वि०प्र० 6ए-12/2013 2938/वि०

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/ सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी/योजना-सह-वित्त विभाग (पेंशन शाखा) सहित वित्त प्रभाग के सभी प्रशाखा/जन सूचना कोषांग, योजना-सह-वित्त विभाग/पी०एम०यू० कोषांग के सहायक प्रोग्रामर, को विभागीय Website पर upload करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



05.10.2015

(अमित खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।